

प्रेषक,

डा० पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक: २५ मई, 2018

विषय- आईफैंड सहायतित 'एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना' हेतु वार्षिक योजना 2018-19 के लिए प्राविधानित बजट के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके कार्यालय के पत्र संख्या: 153/5-लेखा-139 (16-17)/हि०आ०/II फेज/2017-18 दिनांक: 21.04.2018 में की गयी संस्तुति एवं अपर परियोजना निदेशक, UGVs- ILSP के पत्रांक 27/दिनांक 16.05.2018 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत आईफैंड द्वारा वाहय सहायतित योजना 'एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना' के सुचारु कार्यान्वयन/संचालन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रथम किश्त की धनराशि के रूप में रू० 4400.00 लाख (रू० चौवालीस करोड़ मात्र) की धनराशि को आपके निवर्तन पर रखते हुए नियमानुसार आहरण/व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किश्तों में आहरित एवं व्यय की जाएगी एवं वित्त विभाग के शासनादेश सं० 519 दिनांक: 02.04.2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. योजना के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण स्वीकृत परिव्यय की सीमा तक ही किया जाएगा। धनराशि का दोहरा आहरण होने की स्थिति में सम्बन्धित आहरण-वितरण अधिकारी पूर्ण उत्तरदायी होगा। धनराशि का आवश्यकतानुसार ही नियमानुसार आहरण कर केन्द्रीय परियोजना समन्वयक इकाई-आई०एल०एस०पी० के पंजाब नेशनल बैंक, इन्दिरा नगर, देहरादून के खाता सं० 1556000110130876 IFSC कोड-PUNB0155600 को हस्तान्तरित की जाएगी।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार/आईफैंड द्वारा निर्गत निर्देशों/गाइडलाइन्स के अनुसार योजना के अन्तर्गत किया जाएगा

३

तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र ससमय भारत सरकार/राज्य सरकार/आईफ़ैड को उपलब्ध कराया जाए।

4. धनराशि का एकमुश्त आहरण न कर आवश्यकतानुसार वार्षिक स्वीकृत परियोजना के नियमानुसार आहरण किया जाएगा।
5. योजना के अन्तर्गत व्यय की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं स्वीकृत/व्यय की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति की प्राप्ति राज्य सरकार को सुनिश्चित करते हुए तत्सम्बन्धी आख्या अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराई जाए।
6. धनराशि का व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तापुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति/प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2017 के प्राविधानों के अनुरूप नियमानुसार सुसंगत नियमों/ आदेशों का पालन करते हुए योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार/राज्य सरकार/आईफ़ैड द्वारा जारी होने वाले दिशा-निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित किया जाए।
7. आईफ़ैड द्वारा धनराशि अवमुक्त किए जाने पर उक्त धनराशि का समायोजन राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले अंश के रूप में किया जाएगा तथा समायोजन की पुष्टि अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए।
8. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तापुस्तिका के नियमों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की आवश्यकता हो, व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
9. जिन कार्यों/प्रयोजनों हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, का उपयोग उन्हीं कार्यों पर की जाए। अनानुमोदित व्यय कदापि न किया जाए।
10. मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। स्वीकृतियों का रजिस्टर रखा जाए एवं प्रत्येक माह में स्वीकृति/ व्यय सम्बन्धी सूचना अद्यतन करते हुए निर्धारित प्रपत्र पर शासन को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराई जाए।
11. योजनान्तर्गत गत अवशेष धनराशि एवं अभिस्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग नियमानुसार शीघ्र सुनिश्चित किया जाए।
12. अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय तभी किया जाएगा जब अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की जाने वाली मदों का विस्तृत विवरण/कार्ययोजना शासन से स्वीकृत करा लिया जाएगा।
13. अनुदान सं० 30 एवं 31 में प्रस्तावित राशि का व्यय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ ही किया जायेगा।
14. प्रश्नगत योजना की तृतीय पार्टी मूल्यांकन आख्या भी शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
15. निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का उपयोग/व्यय दिनांक: 31.03.2019 तक किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

3

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-19 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-97-आईफैंड वाह्य सहायतित योजना-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद से रू0 3700.00 लाख, अनुदान संख्या-30 के लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 102-सामुदायिक विकास-02-अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कंपोनेन्ट प्लान 0297-आईफैंड वाह्य सहायतित योजना 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद से 600.00 लाख तथा अनुदान संख्या-31 के लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 796-जनजाति क्षेत्र उपयोजना-97-आईफैंड वाह्य सहायतित योजना-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद से 100.00 लाख, इस प्रकार कुल रू0 4400.00 लाख की धनराशि का वहन किया जायेगा तथा सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग-1 के शासनादेश संख्या: 183/XXVII-1/2012 दिनांक 28.03.2012 के अधीन साफ्टवेयर से केन्द्रीय स्तर पर एक विशिष्ट नम्बर S1805190131, S1805300132 एवं S1805310133 दिनांक 16.03.2018 से जेनरेट कर जारी किए जा रहे हैं। विभागाध्यक्ष स्तर से भी सभी आहरण वितरण अधिकारियों को बजट का आवंटन साफ्टवेयर के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव (प्रभारी)

संख्या: 1134 / XI / 18 / 56(18)2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. महालेखाकार, (ए.एण्ड.ई), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
3. मुख्य परियोजना निदेशक, एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना, देहरादून।
4. अनु सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 राम बिलास यादव)
अपर सचिव